

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

ਸਂ. 182] No. 182] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 18, 2016/फाल्गुन 28, 1937

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 18, 2016/PHALGUNA 28, 1937

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 मार्च, 2016

सा.का.नि. 324(अ).—विदेशियों का रजिस्ट्रिकरण अधिनियम, 1939 (1939 का 16) की धारा 3 की अपेक्षानुसार विदेशियों का रजिस्ट्रीकरण नियम, 1992 का और संशोधन करने के लिए कतिपय प्रारूप नियम भारत सरकार के गृह मंत्रालय की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 27(अ), तारीख 14 जनवरी, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे जिनमें उक्त अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 15 दिन की अविध की समाप्ति से पूर्व ऐसे सभी व्यक्तियों से जिनको उनसे प्रभावित होने की संभावना है, आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे।

और उक्त अधिसूचना की प्रतियां जनता को 14 जनवरी, 2016 को उपलब्ध करा दी गई थीं ;

और जनता से प्राप्त उक्त प्रारूप नियमों पर सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार कर लिया गया है ;

अत:, अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विदेशियों का रजिस्ट्रीकरण नियम, 1992 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्/-

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विदेशियों का रजिस्ट्रीकरण नियम, 2016 है ।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
- 2. विदेशियों का रजिस्ट्रीकरण नियम, 1992 में,-
 - (i) नियम 14 का लोप किया जाएगा;
 - (ii) नियम 18 का लोप किया जाएगा;
 - (iii) प्ररूप ग का लोप किया जाएगा ;
 - (iv) प्ररूप च का लोप किया जाएगा :
 - (v) प्ररूप छ का लोप किया जाएगा।

[फा. सं. 25022/16/2014-एफ-1]

जी.के. द्विवेदी, संयुक्त सचिव

1372 GI/2016 (1)

टिप्पण: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में सा.का.िन. सं. 318(अ), तारीख 10 मार्च, 1992 द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसमें अंतिम बार सा.का.िन. सं. 598(अ), तारीख 6 सितंबर, 2013 द्वारा संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 18th March, 2016

G.S.R. 324(E).—Whereas, certain draft rules further to amend the Registration of Foreigners Rules, 1992, were published as required by section 3 of the Registration of Foreigners Act, 1939 (16 of 1939), vide notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs number G.S.R. 27(E), dated the 14th January, 2016, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of a period of fifteen days from the date of publication of the said notification;

And whereas, copies of the said Gazette notification were made available to the public on the 14th January, 2016;

And whereas, the suggestions on the said draft rules received from the public have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 3 of the said Act, the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Registration of Foreigners Rules, 1992, namely:—

- 1. (1) These rules may be called the Registration of Foreigners (Amendment) Rules, 2016.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Registration of Foreigners Rules, 1992.-
 - (i) rule 14 shall be omitted;
 - (ii) rule 18 shall be omitted;
 - (iii) Form C shall be omitted;
 - (iv) Form F shall be omitted;
 - (v) Form G shall be omitted.

[F. No. 25022/16/2014-F-1]

G. K. DWIVEDI, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary vide notification number G.S.R. 318(E) dated the 10th March, 1992 and last amended vide number G.S.R. 598(E), dated the 6th September, 2013.

आदेश

नई दिल्ली, 18 मार्च, 2016

सा.का.नि.325(अ).—केन्द्रीय सरकार विदेशियों विषयक अधिनियम, 1946 (1946 का 31) की धारा 7 के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विदेशियों विषयक आदेश, 1948 का और संशोधन करने के निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात:—

- 1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम विदेशियों विषयक (संशोधन) आदेश, 2016 है।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

- 2. विदेशियों विषयक आदेश, 1948 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल आदेश कहा गया है) में, पैरा 2 के पश्चात् निम्नलिखित पैरा अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात:-
- "2क. विदेशियों विषयक अधिनियम, 1946 की धारा 7 के प्रयोजन के लिए विहित प्राधिकारी,- विदेशियों विषयक अधिनियम, 1946 की धारा 7 के प्रयोजन के लिए विहित प्राधिकारी रजिस्ट्रीकरण अधिकारी होगा ।"।
- 3. मूल आदेश में, पैरा 14 के पश्चात् निम्नलिखित पैरा अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—
- "15. विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा की जाने वाली रिपोर्ट,- (1) प्रत्येक विश्वविद्यालय और शैक्षणिक संस्था प्ररूप क में उसमें उल्लिखित अविध के भीतर विश्वविद्यालय या शैक्षणिक संस्था में अभ्यावेशित विदेशी छात्रों के संबंध में सूचना रिजस्ट्रीकरण अधिकारी को प्रस्तुत करेगा।"
- (2) प्ररूप क ऑनलाइन उपलब्ध होगा और रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को उसके द्वारा निदेश दी गई रीति में इलेक्ट्रानिक रूप से प्रस्तुत किया जा सकेगा।
 - (3) इस पैरा के उपबंध उन व्यक्तियों को या उनके संबंध में लागू नहीं होंगे जो नागरिकता अधिनियम, 1955 के अधीन भारत के विदेशी कार्ड धारक नागरिक के रूप में रजिस्ट्रीकृत हैं।
- 16. होटल देखभालकर्ता को या उसके द्वारा की जाने वाली रिपोर्ट:-
- (1) होटल का प्रत्येक देखभालकर्ता आगंतुक से यह अपेक्षा करेगा कि वह प्ररूप ख में इस प्रयोजन के लिए रखे गए रजिस्टर में होटल में उसके आगमन पर उसका नाम और राष्ट्रीयता अभिलिखित करने के लिए आवश्यक विशिष्टियां प्रस्तुत करे और उसमें हस्ताक्षर करे और यदि ऐसा आगंतुक विदेशी व्यक्ति है तो उससे,-
- (क) होटल में उसके आगमन पर उक्त रजिस्टर की मद 4 से मद 11 में विनिर्दिष्ट अन्य विशिष्टियां प्रस्तृत करने; और
- (ख) होटल से उसके प्रस्थान के समय, उक्त रजिस्टर में अभिलिखित करने के लिए आवश्यक विशिष्टियां उसके प्रस्थान की तारीख और समय तथा पता जहां वह जा रहा है, प्रस्तुत करने की अपेक्षा करेगा।
- (2) उप पैरा (1) में निर्दिष्ट रजिस्टर किसी रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी जो हैड कांस्टेबल की पंक्ति से नीचे का न हो, द्वारा मांग किए जाने पर निरीक्षण के लिए सर्वथा उपलब्ध कराएगा।
- (3) किसी होटल का प्रत्येक आगंतुक होटल के देखरेखकर्ता द्वारा ऐसा करने की अपेक्षा किए जाने पर उप पैरा (1) में निर्दिष्ट रजिस्टर में अपना नाम और राष्ट्रीयता अभिलिखित करने के लिए आवश्यक विशिष्टियां प्रस्तुत करेगा और उसमें हस्ताक्षर करेगा और यदि ऐसा आगंतुक विदेशी व्यक्ति है तो वह,-
 - (क) होटल में उसके आगमन पर उक्त रजिस्टर की मद 4 से मद 11 में विनिर्दिष्ट अन्य विशिष्टियां भी प्रस्तुत करेगा; और
 - (ख) होटल से उसके प्रस्थान के समय उक्त रजिस्टर में उसके प्रस्थान की तारीख और समय तथा पता जिस पर वह जा रहा है, अभिलिखित करने के लिए आवश्यक विशिष्टियां भी प्रस्तुत करेगा ।
- (4) होटल के देखभालकर्ता या किसी आगंतुक के हस्ताक्षर से भिन्न कोई विशिष्ट जिसे इस आदेश द्वारा उक्त रजिस्टर में अभिलिखित किया जाना अपेक्षित है, होटल के देखभालकर्ता द्वारा यदि वह इस प्रकार समर्थ है अंग्रेजी भाषा में अभिलिखित की जाएगी या अन्यथा भारतीय भाषा में अभिलिखित की जाएगी।
- (5) यदि आगंतुक अंग्रेजी भाषा को नहीं समझता है तो होटल के देखभालकर्ता का यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसा अनुरोध किए जाने पर इस आदेश की अपेक्षाओं को आगंतुक को स्पष्ट करे ।
- (6) होटल का देखभालकर्ता विदेशी व्यक्ति के आगमन के पश्चात् यथासंभव शीघ्र किंतु चौबीस घंटे से अनधिक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को विदेशी व्यक्ति को प्रस्तुत की गई विशिष्टियों से सम्यकत: भरे गए प्ररूप ग के प्रति पारेषित करेगा।

- (7) इस पैरा के प्रयोजन के लिए,-
 - (क) "होटल" के अंतर्गत कोई बोर्डिंग हाऊस, क्लब, डाक बंग्ला, विश्रामगृह, होस्टल, पेइंग गेस्ट हाऊस, सराय, किराये पर लिया गया आवास, अस्पताल या अन्य वैसी ही प्रकृति के अन्य परिसर, सुसज्जित या असुसज्जित, जहां आवास या शयन आवासन पुरस्कार के लिए उपलब्ध कराया जाता है;
 - (ख) "होटल के देखभालकर्ता" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके पास होटल का प्रबंधन है और इसके अंतर्गत उसके द्वारा प्राधिकृत कोई ऐसा व्यक्ति भी है जो इस पैरा के अधीन होटल के देखभालकर्ता के कर्तव्यों का पालन करने के लिए सक्षम हो;
 - (ग) "हस्ताक्षर" के अंतर्गत, ऐसे आगंतुक जो लिखने में असमर्थ है के संबंध में, अंगूठा निशान का चिन्ह् लगाना या अन्य चिन्ह जिसके द्वारा वह किसी दस्तावेज को अन्यून प्रमाणित करने के लिए अभ्यस्त है ;और
 - (घ) "आगंतुक" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके लिए होटल में आवास उपलब्ध कराया जाता है।
- (8) प्ररूप ग ऑनलाइन उपलब्ध होगा और रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को उसके द्वारा निदेश दी गई रीति में इलेक्ट्रानिक रूप से प्रस्तुत किया जाएगा।
 - (9) इस पैरा के उपबंध उन व्यक्तियों को या उनके संबंध में लागू नहीं होंगे जो नागरिकता अधिनियम, 1955 के अधीन भारत के विदेशी कार्ड धारक नागरिक के रूप में रजिस्ट्रीकृत हैं।

प्ररूप "क"

[पैरा 15(1) देखें]

विदेशी छात्र सूचना प्रणाली

आंकड़ा पत्र

| छात्र सूचना | | | | | | | |
|---|-------------------------|--|--|--|--|--|--|
| (प्रवेश के समय से चौबीस घंटे के भीतर प्रस्तुत की जाए) | | | | | | | |
| उपनाम | - | | | | | | |
| दिया गया नाम | | | | | | | |
| जन्म की तारीख | | | | | | | |
| लिंग | | | | | | | |
| राष्ट्रीयता | | | | | | | |
| माता पिता का नाम | पिता का नाम/माता का नाम | | | | | | |
| माता पिता का संबंध | पिता/माता | | | | | | |
| भारत में पता | | | | | | | |
| संस्था प्रवेश संख्या | | | | | | | |
| संस्था में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख | | | | | | | |
| प्रयोजक अभिकरण | | | | | | | |
| पासपोर्ट संख्या | | | | | | | |
| पासपोर्ट जारी करने की तारीख | | | | | | | |

| पासपोर्ट जारी करने का स्थान | |
|---|--|
| वह देख जिसने पासपोर्ट जारी किया है | |
| पासपोर्ट की समाप्ति की तारीख | |
| वीसा संख्या | |
| वीसा जारी करने की तारीख | |
| वीसा के जारी करने का स्थान | |
| | |
| वीसा जारी करने का देश | |
| वीसा की समाप्ति की तारीख | |
| वीसा का प्रकार | |
| वीसा कितने समय के लिए वैध है | |
| यात्रा का प्रयोजन | |
| | के ब्यौरे |
| (प्रवेश के चौबीस घंटे के | भीतर प्रस्तुत की जाए) |
| पाठयक्रम का नाम | |
| पाठयक्रम पैटर्न | गैर सेमिस्टर/सेमिस्टर/अल्कालिक |
| पाठ्यक्रम की अवधि | तारीख से तारीख तक |
| फीस संरचना | |
| | |
| - | श्रो के पास रजिस्ट्रीकरण |
| (आगमन की तारीख से चौद | भी के पास रजिस्ट्रीकरण ह दिन के भीतर प्रस्तुत करें) |
| (आगमन की तारीख से चौद रजिस्ट्रीकरण प्रमाण सं. | |
| (आगमन की तारीख से चौद रजिस्ट्रीकरण प्रमाण सं. रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र जारी करने की तारीख | |
| (आगमन की तारीख से चौद रिजस्ट्रीकरण प्रमाण सं. रिजस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र जारी करने की तारीख रिजस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र की समाप्ति की तारीख | ह दिन के भीतर प्रस्तुत करें) |
| (आगमन की तारीख से चौद रजिस्ट्रीकरण प्रमाण सं. रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र जारी करने की तारीख रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र की समाप्ति की तारीख पाठ्यक्रम ब्यौ | ह दिन के भीतर प्रस्तुत करें) रों में परिवर्तन |
| (आगमन की तारीख से चौद रजिस्ट्रीकरण प्रमाण सं. रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र जारी करने की तारीख रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र की समाप्ति की तारीख पाठ्यक्रम ब्यौ (पाठ्यक्रम के परिवर्तन के समय से | ह दिन के भीतर प्रस्तुत करें) |
| (आगमन की तारीख से चौद रिजस्ट्रीकरण प्रमाण सं. रिजस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र जारी करने की तारीख रिजस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र की समाप्ति की तारीख पाठ्यक्रम ब्यौ (पाठ्यक्रम के परिवर्तन के समय से | ह दिन के भीतर प्रस्तुत करें) रों में परिवर्तन चौबीस घंटे के भीतर प्रस्तुत करें) |
| (आगमन की तारीख से चौद रिजस्ट्रीकरण प्रमाण सं. रिजस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र जारी करने की तारीख रिजस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र की समाप्ति की तारीख पाठ्यक्रम ब्यौ (पाठ्यक्रम के परिवर्तन के समय से पाठयक्रम पैटर्न | ह दिन के भीतर प्रस्तुत करें) रों में परिवर्तन चौबीस घंटे के भीतर प्रस्तुत करें) गैर सेमिस्टर/सेमिस्टर/अल्कालिक |
| (आगमन की तारीख से चौद रिजिस्ट्रीकरण प्रमाण सं. रिजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र जारी करने की तारीख रिजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र की समाप्ति की तारीख पाठ्यक्रम ब्यौ (पाठ्यक्रम के परिवर्तन के समय से पाठयक्रम पैटर्न पाठ्यक्रम की अविध | ह दिन के भीतर प्रस्तुत करें) रों में परिवर्तन चौबीस घंटे के भीतर प्रस्तुत करें) |
| (आगमन की तारीख से चौद रिजस्ट्रीकरण प्रमाण सं. रिजस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र जारी करने की तारीख रिजस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र की समाप्ति की तारीख पाठ्यक्रम ब्यौ (पाठ्यक्रम के परिवर्तन के समय से पाठयक्रम पैटर्न पाठ्यक्रम की अवधि फीस संरचना | ह दिन के भीतर प्रस्तुत करें) रों में परिवर्तन चौबीस घंटे के भीतर प्रस्तुत करें) गैर सेमिस्टर/सेमिस्टर/अल्कालिक तारीख से तारीख तक |
| (आगमन की तारीख से चौद रिजिस्ट्रीकरण प्रमाण सं. रिजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र जारी करने की तारीख रिजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र की समाप्ति की तारीख पाठ्यक्रम ब्यौ (पाठ्यक्रम के परिवर्तन के समय से पाठयक्रम का नाम पाठयक्रम की अवधि फीस संरचना | ह दिन के भीतर प्रस्तुत करें) रों में परिवर्तन चौबीस घंटे के भीतर प्रस्तुत करें) गैर सेमिस्टर/सेमिस्टर/अल्कालिक तारीख से तारीख तक |
| (आगमन की तारीख से चौद रिजस्ट्रीकरण प्रमाण सं. रिजस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र जारी करने की तारीख रिजस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र की समाप्ति की तारीख पाठ्यक्रम ब्यौ (पाठ्यक्रम के परिवर्तन के समय से पाठयक्रम का नाम पाठयक्रम की अवधि फीस संरचना (सेमिस्टर वार प्रस्तुत करें; उपस्थिति के व | ह दिन के भीतर प्रस्तुत करें) रों में परिवर्तन चौबीस घंटे के भीतर प्रस्तुत करें) गैर सेमिस्टर/सेमिस्टर/अल्कालिक तारीख से तारीख तक पादन प्रविष्टि न्यौरे अद्भवार्षिक रूप से प्रस्तुत किए जाएं) |
| (आगमन की तारीख से चौद रिजस्ट्रीकरण प्रमाण सं. रिजस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र जारी करने की तारीख रिजस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र की समाप्ति की तारीख पाठ्यक्रम ब्यौ (पाठ्यक्रम के परिवर्तन के समय से पाठयक्रम का नाम पाठयक्रम पैटर्न पाठ्यक्रम की अवधि फीस संरचना (सेमिस्टर वार प्रस्तुत करें; उपस्थिति के व | ह दिन के भीतर प्रस्तुत करें) रों में परिवर्तन चौबीस घंटे के भीतर प्रस्तुत करें) गैर सेमिस्टर/सेमिस्टर/अल्कालिक तारीख से तारीख तक पादन प्रविष्टि न्यौरे अद्भवार्षिक रूप से प्रस्तुत किए जाएं) तारीख से तारीख तक |
| (आगमन की तारीख से चौद रिजस्ट्रीकरण प्रमाण सं. रिजस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र जारी करने की तारीख रिजस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र की समाप्ति की तारीख पाठ्यक्रम ब्यौ (पाठ्यक्रम के परिवर्तन के समय से पाठयक्रम का नाम पाठयक्रम की अवधि फीस संरचना (सेमिस्टर वार प्रस्तुत करें ; उपस्थिति के व मूल्यांकन अवधि उपस्थिति | ह दिन के भीतर प्रस्तुत करें) रों में परिवर्तन चौबीस घंटे के भीतर प्रस्तुत करें) गैर सेमिस्टर/सेमिस्टर/अल्कालिक तारीख से तारीख तक पादन प्रविष्टि न्यौरे अद्धवार्षिक रूप से प्रस्तुत किए जाएं) तारीख से तारीख तक नियमित/अनियमित |
| (आगमन की तारीख से चौद रिजस्ट्रीकरण प्रमाण सं. रिजस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र जारी करने की तारीख रिजस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र की समाप्ति की तारीख पाठ्यक्रम ब्यौ (पाठ्यक्रम के परिवर्तन के समय से पाठयक्रम का नाम पाठयक्रम पैटर्न पाठ्यक्रम की अवधि फीस संरचना (सेमिस्टर वार प्रस्तुत करें; उपस्थिति के व | ह दिन के भीतर प्रस्तुत करें) रों में परिवर्तन चौबीस घंटे के भीतर प्रस्तुत करें) गैर सेमिस्टर/सेमिस्टर/अल्कालिक तारीख से तारीख तक पादन प्रविष्टि स्थौरे अद्धवार्षिक रूप से प्रस्तुत किए जाएं) तारीख से तारीख तक नियमित/अनियमित हां/नहीं |
| (आगमन की तारीख से चौद रिजिस्ट्रीकरण प्रमाण सं. रिजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र जारी करने की तारीख पाठ्यक्रम ब्यौ (पाठ्यक्रम के परिवर्तन के समय से पाठयक्रम का नाम पाठयक्रम पैटर्न पाठ्यक्रम की अवधि फीस संरचना (सेमिस्टर वार प्रस्तुत करें; उपस्थिति के व मूल्यांकन अवधि उपस्थिति | ह दिन के भीतर प्रस्तुत करें) रों में परिवर्तन चौबीस घंटे के भीतर प्रस्तुत करें) गैर सेमिस्टर/सेमिस्टर/अल्कालिक तारीख से तारीख तक पादन प्रविष्टि न्यौरे अद्धवार्षिक रूप से प्रस्तुत किए जाएं) तारीख से तारीख तक नियमित/अनियमित हां/नहीं उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण |
| (आगमन की तारीख से चौद रिजस्ट्रीकरण प्रमाण सं. रिजस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र जारी करने की तारीख पाठ्यक्रम ब्यौ (पाठ्यक्रम के परिवर्तन के समय से पाठयक्रम का नाम पाठयक्रम की अवधि फीस संरचना (सेमिस्टर वार प्रस्तुत करें; उपस्थिति के व मूल्यांकन अवधि उपस्थिति संचालित परीक्षा | ह दिन के भीतर प्रस्तुत करें) रों में परिवर्तन चौबीस घंटे के भीतर प्रस्तुत करें) गैर सेमिस्टर/सेमिस्टर/अल्कालिक तारीख से तारीख तक पादन प्रविष्टि स्थौरे अद्धवार्षिक रूप से प्रस्तुत किए जाएं) तारीख से तारीख तक नियमित/अनियमित हां/नहीं |

| प्रस्थान प्रविष्टि (संस्था से छात्र के प्रस्थान के ब्यौरे) (पाठ्यक्रम के पूरा होने के समय से /संस्था/पाठ्यक्रम से प्रस्थान की तारीख से चौबीस घंटे के भीतर प्रस्तुत किया जाए) | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|--|
| छात्र के प्रस्थान की सूचना | तारीख | | | | | | |
| प्रस्थान के कारण | छात्र द्वारा पाठ्यक्रम पूरा किए जाने/पाठ्यक्रम छोड़ देने/समाप्त हो जाने पर | | | | | | |

| | प्ररूप ख |
|-----|---|
| | [पैरा 16(1) देखें] |
| | होटल रजिस्टर |
| 1. | क्रम संख्यांक |
| 2. | आगंतुक का पूरा नाम (स्पष्ट अक्षरों में), पहले उपनाम |
| 3. | राष्ट्रीयता |
| 4. | पासपोर्ट की संख्या, तारीख और जारी करने का स्थान |
| 5. | भारत में पता |
| 6. | भारत में आगमन की तारीख |
| 7. | क्या भारत में नियोजित है हां या नहीं |
| 8. | भारत में ठहरने की प्रस्तावित अवधि |
| 9. | कहां से आगमन हुआ |
| 10. | रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र की संख्या, तारीख और जारी करने का स्थान, यदि कोई हो |
| 11. | यात्रा का प्रयोजन |
| 12. | होटल से प्रस्थान की तारीख और समय |
| 13. | पता, जिसपर वह जा रहा हो |
| 14. | आगंतुक के हस्ताक्षर |

प्ररूप ग

[पैरा 16छ देखें]

होटल में विदेशी व्यक्ति के आगमन की रिपोर्ट

[हो पविणां में भूस जाम]

| | [दा प्रातया म भरा जाए] | |
|---|------------------------|------|
| होटल या अन्य परिसर, जहां आवास पुरस्कार के लिए/संदाय पर उपलब्ध | | |
| कराया गया है, वहां होटल या अन्य परिसर का नाम और पता | | |
| पारसर का नाम आर पता | | फोटो |
| | | |
| | | |

2. होटल या ठहरने के स्थान का फोन/मोबाइल नंबर

| 3. वि [.] | देशी का | पूरा ना | म (जैसा | पासपोर् | र्ट में दिय | ा गया है | ₹) | | | | | | | | |
|--------------------|---------------------------------|---|---------------|---------|----------------------|----------|----------------|--------------------|-----------------------|---------------|---|-----|---|---|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | न्म की व | | | | | | | | | | | | | | |
| (7 | ता./मास | /वर्ष) | | | | | | _ | 1 | _ | | • | r | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. देश | में जहां | स्थायी | रूप से वि | नेवास व | _{कर रहा है} | है, वहां | का पता | - | ı | 1 | | · · | 1 | • | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 911 | रत में प | == :::=============================== | <u> </u> } | | | | | | | | | | | | |
| 0. 41 | रत म प | 11/41 4+ | 1 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | • | | 1 | ' | • | | | | • | | | | | • | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.राष्ट् | ट्रीयता | | | | | | | <u> </u> 8.पासप | <u>।</u> गेर्ट सं. | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.पास | | | | | | | | 40 | | [| | T T | | | |
| 9.पास जारी | ापाट करने | | | | | | | 10पार करने की | | | | | | | |
| का स्थ | ान | | | | | | | (ता./मा | स/वर्ष) | | | | | | |
| | | 0.0 | a 1 | | | | | 1 | 1 | | ſ | | | | |
| 11. व (ता /म | _{ष्ट्र} तक ⊓स/वर्ष∫ | विधिम । | ान्य है | | | | | | | | | | | | |
| (| | , | | | | | | | | | | | | | |
| 12.वी | ਜ਼ਾ 🗀 | | | | | | | . जारी | करने | | | | | | |
| ाट.जा सं. | 711 | | | | | | | . जारा तारीख | गरप | | | | | | |
| | | | | | | | (ता | ./मास/व | र्ष) | | | | | | |
| 11 - | कब तक | - | | | | | | 5. वीर | ਸ ਵਾ | | | | | | |
| विधिम | गान्य है | <u> </u> | | | | | | ऽ. पार कार | ता पर्ध | | | | | | |
| (ता./म | ⊓स/वर्ष] |) | | | | | | | | | | | | | |

| 16. ज स्थान | ारी करने | ां का | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------------|----------|----------------------|-----------|----------|--------------------|------|---------|--------|----------------|-----------------------|-------|
| | | | | | | | . | | | | T T | | | |
| 17. क | हां से आ | गमन हु | आ | | | | | | | | | | | |
| 18 भ | ारत में अ | आगमन | की तारी | ख | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 19. हो | ोटल में ३ | गागमन | की तारी | ख | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 अ | ागमन क | ा समय | | | | | | | | | | | | |
| 20. | , , , , , | | | | | | | | | | | | | |
| 21. हो | ोटल में ट | व्हरने र्क | ो आशरि | ोत अवर् | धे (दिनों | ां की संख | या) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 22. क | या भारत | ा में निय | ोजित है | (समुचि | ात बॉक्स | ा में टिक | का निश | ान लग | ाएं) | | | (हां) | (| नहीं) |
| | | | | Ţ | . गें चिक | का निश | तन लगा | π ί\ | | | | | | |
| 23 य | ात्रा का प | ग्रयो जन | (समचि | त बाक्स | | | | | | | | | | |
| 23. य | ात्रा का प | प्रयोजन | (समुचि | त बाक्स | 4 1047 | 101111 | | <u> </u> | | | | | | |
| 23. य कारबा | | | (समुचि भिवहन | त बाक्स | शासव | | | <i>९)</i> नियोज | न | | शिक्षा | सम्मेल | भेत्रों/नाते मिलना | दारों |
| | | | | त बाक्स | | | | | न | | शिक्षा | सम्मेल | मेत्रों/नाते मिलना | दारों |
| कारबा | | अ — | भिवहन | त बाक्स | शासव | कीय | | नियोज | | क्रीड़ा | शिक्षा | सम्मेल | | दारों |
| कारबा चिकित | ₹ | अ | भिवहन | /तीर्थया | शासव | कीय | | नियोज | | | शिक्षा | सम्मेल | मिलना | दारों |
| कारबा चिकित | र सा/स्वास | अ | भिवहन | /तीर्थया | शासव | कीय | | नियोज | | | शिक्षा | सम्मेल | मिलना | दारों |
| कारबा चिकित 24. अ | र सा/स्वास | अ | भिवहन धर्म ं जानाः | /तीर्थया | शासव | कीय | | नियोज | | | शिक्षा | स म्मेल | मिलना | दारों |
| कारबा चिकित 24. अ | र सा/स्वास गला गंत | अ | भिवहन धर्म ं जानाः | /तीर्थया | शासव | कीय | | नियोज | | | शिक्षा | सम्मेल | मिलना | दारों |
| कारबा चिकित 24. अ 25. भ | र सा/स्वास गला गंत | अ भ्य व्य/कह | भिवहन धर्म ं जानाः न नं. | /तीर्थया | शासव | कीय अ | वकाश /ः | नियोज | | | शिक्षा | н ғमेल | मिलना | दारों |

टिप्पण- कृपया यह सुनिश्चित करें कि कोई कॉलम खाली/अपूर्ण न रह जाए।

*यदि वेब कैमरा/डिजिटल कैमरा उपलब्ध नहीं है तो पासपोर्ट में फोटो की फोटोप्रति संलग्न की जाए।

प्रबंधक के हस्ताक्षर"

[फा. सं. 25022/16/2014-एफ-1]

जी.के. द्विवेदी, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल आदेश भारत के राजपत्र, में सा.का.िन. सं. 9/46-राजनीतिक(ईडब्ल्यू), तारीख 14 फरवरी, 1948 द्वारा प्रकाशित किया गया था और अंतिम बार सा.का.िन. सं. 686(अ), तारीख 7 सितंबर, 2015 द्वारा संशोधित किया गया।

ORDER

New Delhi, the 18th March, 2016

- **G.S.R.** 325(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 read with section 7 of the Foreigners Act, 1946 (31 of 1946), the Central Government hereby makes the following order further to amend the Foreigners Order, 1948, namely:—
- 1. (1) This Order may be called the Foreigners (Amendment) Order, 2016.
 - (2) This Order shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
- 2. In the Foreigners Order, 1948 (hereinafter referred to as the principal order), after paragraph 2, the following paragraph shall be inserted, namely:-
 - "2A. **Authority prescribed for the purpose of section 7 of the Foreigners Act, 1946.** For the purpose of section 7 of the Foreigners Act, 1946, the prescribed authority shall be the Registration Officer."
- 3. In the principal order, after paragraph 14, the following paragraphs shall be inserted, namely:-
 - **"15. Report to be made by Universities and Educational Institutions.** (1) Every University and Educational Institution shall furnish to the Registration Officer, information in respect of foreign students enrolled in the University or the Educational Institution in Form A within the period mentioned therein.
 - (2) The Form A shall be available online and may be submitted electronically to the Registration Officer in the manner directed by him.
 - (3) The provisions in this paragraph shall not apply to, or in relation to, the persons registered as Overseas Citizen of India Cardholder under the Citizenship Act, 1955.
 - **16.** Report to be made to and by hotel keepers.- (1) Every keeper of a hotel shall require every visitor to the hotel to furnish the particulars necessary for recording, and sign, on his arrival at the hotel, his name and nationality in a register maintained for the purpose in Form B and, if such visitor is a foreigner shall further require him
 - on his arrival at the hotel to furnish the other particulars specified in Items 4 to 11 of the said register; and
 - (b) at the time of his departure from the hotel to furnish the particulars necessary for recording in the said register, the date and time of his departure and the address to which he is proceeding.
 - (2) The register referred to in sub-paragraph (1) shall at all time be made available for inspection, on the demand of any Registration Officer, magistrate or police officer not below the rank of a head constable.

- (3) Every visitor to any hotel shall, on being required to do so by the keeper of the hotel, furnish the particulars necessary for recording, and sign, his name and nationality, in the register referred to in sub-paragraph (1), and if such visitor is a foreigner, shall also,-
 - (a) on his arrival at the hotel furnish the other particulars specified in Items 4 to 11 of the said register; and
 - (b) at the time of his departure from the hotel, furnish the particulars necessary for recording, in the said register, the date and time of his departure and the address to which he is proceeding.
- (4) Every particular, other than the signature of the keeper of a hotel or a visitor, which is required by this order to be recorded in the said register, shall be recorded by the keeper of the hotel in English language, if he is so able, or otherwise, in an Indian language.
- (5) If a visitor does not understand English language, it shall be the duty of the keeper of the hotel, if so requested to explain to the visitor the requirements of this order.
- (6) The keeper of the hotel shall, as soon as may be but not more than twenty-four hours, after the arrival of a foreigner, transmit a copy of Form C, duly completed from the particulars furnished by the foreigner, to the Registration Officer.
- (7) For the purpose of this paragraph,-
 - (a) "hotel" includes any boarding-house, club, dak-banglow, rest house, hostel, paying guest house, *sarai*, rented accommodation, hospital, or other premises of like nature, furnished or unfurnished, where lodging or sleeping accommodation is provided for reward;
 - (b) "keeper of a hotel" means the person having the management of a hotel and includes any person authorised by him, and competent to perform the duties of the keeper of the hotel under this paragraph;
 - (c) "sign" includes, in respect of a visitor who is unable to write, the marking of a thumb impression or other mark by means of which he is accustomed to attest a document; and
 - (d) "visitor" means a person for whom accommodation is provided at the hotel.
- (8) The Form C shall be available online and may be submitted electronically to the Registration Officer in the manner directed by him.
- (9) The provisions in this paragraph shall not apply to, or in relation to, the persons registered as Overseas Citizen of India Cardholder under the Citizenship Act,1955.

Form A

[See paragraph 15(1)]

Foreign Students Information System

DATASHEET

| Student Information | | | | | | |
|---|--------------------------|--|--|--|--|--|
| (to be furnished within 24 hours from the time of admission | | | | | | |
| Surname | | | | | | |
| Given name | | | | | | |
| Date of Birth | | | | | | |
| Gender | | | | | | |
| Nationality | | | | | | |
| Parent name | Father name/ Mother name | | | | | |
| Parent Relation Father / Mother | | | | | | |
| Address in India | | | | | | |

| T de la lata de lata de la lata de lata d | |
|--|--|
| Institution Admission No. | |
| Date of joining in Institution | |
| Sponsoring Agency | |
| Passport number | |
| Date of issue of Passport | |
| Place of issue of Passport | |
| Passport issued Country | |
| Date of Expiry of Passport | |
| Visa number | |
| Visa issued Date | |
| Place of issue of Visa | |
| Visa issued Country | |
| Visa Expiry Date | |
| Visa Type | |
| Visa valid for | |
| Purpose of visit | |
| Course | details |
| (to be furnished within | 24 hours of admission) |
| Course Name | |
| Course Pattern | Non-Semester/ Semester/ Short Term |
| Course Duration | From Date: To Date: |
| Fee Structure | |
| | |
| Registration wit | th FRRO/ FRO |
| (to be furnished within 14 da | |
| Registration Certificate No. | |
| RC issued Date | |
| RC Expiry Date | |
| Change of Co | ourse Details |
| (to be furnished within 24 hours for | |
| Course Name | |
| Course Pattern | Non-Semester/ Semester/ Short Term |
| Course Duration | From Date: To Date: |
| Fee Structure | 10 2 440 |
| Academic Perfe | l ormance Entry |
| (To be furnished Semester-wise; attenda | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| Assessment Period | From Date: To Date: |
| Attendance | Regular/ Irregular |
| Examination Conducted | Yes / No |
| Result | Pass/ Fail |
| General Conduct of Student | Good/ Bad |
| Enter Details of Conduct | Remark Entry |
| Eligible to Continue Course | Yes/ No |
| | |
| Exit Entry (Details of Stud | |
| (to be furnished within 24 hours from the time o institute/ | |
| Student's Exit Information | Date: |
| Reason to Exit | Course Completed/ Discontinued by Student/ |
| Reason to East | Terminated. |
| | 1 offiniation. |

Form B

[See paragraph 16(1)]

Hotel Register

- 1. Serial No.
- 2. Name of the visitor in full (in block capitals, surname first)
- 3. Nationality
- 4. Number, date and place of issue of passport
- 5. Address in India
- 6. Date of arrival in India
- 7. Whether employed in India Yes or No
- 8. Proposed duration of stay in India
- 9. Arrived from
- 10. Number, date and place of issue of certificate of Registration, if any
- 11. Purpose of visit
- 12. Date and time of departure from hotel
- 13. Address to which proceeding
- 14. Signature of visitor.

Form C

[See paragraph 16(6)]

ARRIVAL REPORT OF FOREIGNER IN HOTEL

[To be completed in duplicate]

| 1. | Na | me and | d add | lress (| of th | е Но | tel . | | | | | | | | | | | | \neg |
|----|-----|---------|-------|---------|-------|--------|----------|------|---------|---------|----------|------|---|--|----|------|----|---------|--------|
| or | oth | er prei | nise | s, wh | ere | | | | | | | | | | | | | | |
| ac | con | nmoda | tion | has b | een | | - | | | | | | | | PH | OTOG | RA | APH II* | |
| pr | ovi | ded for | rew | ard / | on p | aymo | ent | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Pho | one/Mo | obile | No. | of th | е Но | tel/Pla | ce (| of stay | / | | | | | | | | | |
| 3. | Na | me of 1 | Fore | ign V | isito | r in I | Full: (a | s g | iven i | n passp | oort) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | <u> </u> | | 1 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | |
| 4. | Dat | te of B | irth | (DD/ | MM | /YYY | YY) | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Ad | dress i | n co | untry | whe | re re | siding | per | mane | ntly | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 6. Address / Reference in India | | | | | | | |
|--|-------------------|-------|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 7. Nationality | 8. Passport N | o. | | | | | |
| | | | | | | | |
| 9. Place of issue | 10. Date of | f | | | | | |
| of Passport | issue of Passport | | | | | | |
| | (DD/MM/Y | (VVV) | | | | | |
| | (DD/WW/ I | 111) | | | | | |
| 11 Validell (DD/MM/VVVV) | | | | | | | |
| 11. Valid till (DD/MM/YYYY) | | | | | | | |
| 10 17 17 | 10 D | | | | | | |
| 12. Visa No | 13. Date of | | | | | | |
| | (DD/MM/Y | YYY) | | | | | |
| | | | | | | | |
| 14. Valid till | 15. Type of | Visa | | | | | |
| (DD/MM/YYYY) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 16. Place of issue | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 17. Arrived from | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 18. Date of arrival in India (DD/MM | I/YYYY) | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 19. Date of arrival in Hotel (DD/MM | M/YYYY) | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 20. Time of arrival | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 21. Intended duration of stay in Hotel (No. of days) | | | | | | | |
| • | • • | | | | | | |

| 14 THE GA | THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—Sec. 3(| | | | | | | | |
|--|---|-------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 22. Whether employed in India (tick √ in appropriate box) Yes No | | | | | | | | | |
| 23. Purpose of Visit (tick √ in appropriate box) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Business Transit Official | Employment Education | Conference Visit friends/ relatives | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Medical/Health Religion/ Pilgrimage | Leisure/ Sport holiday | Others | | | | | | | |
| 24. Next destination/ Proceed to | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 25. Contact/ Phone No. in India | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 26. In country where permanently resid | ding | | | | | | | | |

Note: - Please ensure that no column is left blank/incomplete.

[F. No. 25022/16/2014-F-1]

G. K. DWIVEDI, Jt. Secy.

Note: The principal Order was published in the Gazette of India vide No.9/9/46-Political(EW), dated the 14th February, 1948 and last amended vide number GSR 686(E), dated the 7^{th} September, 2015.

^{*} In case web camera/digital camera is not available, photocopy of the photograph in Passport may be enclosed.

Manager's Signature"